FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

पाबुराम वगैरा बनाम हरजीराम वगैरा

किस्म मुकदमा रेफवाद 88, 188 R.T. Act नं. 154/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/07/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 R.T. Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/07/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
26/07/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरपत [illegible] द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 – पाबुराम पुत्र हरजीराम जाति-जाट निवासी-सथरोड़ा पटवार मण्डल-चोखला तहसील-बायतु व वादी संख्या-2 स्वयं PW-2 – केशाराम पुत्र हरजीराम जाति-जाट निवासी-सथरोड़ा पटवार मण्डल-चोखला तह०-बायतु तथा स्वतंत्र गवाह PW-3- जगताराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी- धतरवालों का तला तहसील- बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रा-	पाबुराम हरजीराम जगताराम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दर्ज किया गया। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक साबित होती है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या-1 का बराबर-बराबर का हिस्सा होना साबित होता है शेष प्रतिवादीगणों को वादी वकील द्वारा तर्क किया गया जिनसे कोई किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाही गई है वादी वकील की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मे

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 154 / 2022

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. पाबुराम पुत्र हरजीराम,
2. केशाराम पुत्र हरजीराम,
   जाति– जाट, निवासी– सखरोड़ा, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर

1. हरजीराम पुत्र देदाराम,
2. किरताराम पुत्र शेराराम,
3. जोगाराम पुत्र शेराराम,
4. तोगाराम पुत्र शेराराम,
5. दलाराम पुत्र रूगाराम,
6. पारूदेवी पत्नी शेराराम,
   जाति– जाट, निवासी– सखरोड़ा, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर
7. शाखा प्रबन्धक rmgb शाखा बाटाडु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

–: निर्णय :– दिनांक : 26/07/2022

वादीगण का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा सखरोड़ा, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 104 / 66 रकबा 26.4300 हैक्टेयर व मौजा बांडातालर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु खेत खसरा नं. 524 / 376 रकबा 0.3560 हेक्टयर व मौजा जोगासर कुंआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु खेत खसरा नं. 335 रकबा 2.0468 हेक्टयर की भूमि आई हुई है।. वादी व प्रतिवादी संख्या–1, पूर्वज देदाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से क़ब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं पाबुराम पुत्र हरजीराम का शपथ पत्र PW 1, वादी संख्या 2 केशाराम पुत्र हरजीराम का शपथ पत्र PW 2, स्वतंत्र गवाह के रूप में बगताराम पुत्र वेशनाराम का शपथ पत्र PW 3 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज देदाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सखरोड़ा, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 104/66 रकबा 26.4300 हैक्टेयर व मौजा बांडातालर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु खेत खसरा नं. 524/376 रकबा 0.3560 हेक्टयर व मौजा जोगासर कुंआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु खेत खसरा नं. 335 रकबा 2.0468 हेक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26/07/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पाबुराम पुत्र हरजीराम, 2. केशाराम पुत्र हरजीराम, जाति– जाट, निवासी– सखरोड़ा, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर		1. हरजीराम पुत्र देदाराम, 2. किरताराम पुत्र शेराराम, 3. जोगाराम पुत्र शेराराम, 4. तोगाराम पुत्र शेराराम, 5. दलाराम पुत्र रूगाराम, 6. पारूदेवी पत्नी शेराराम, जाति– जाट, निवासी– सखरोड़ा, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर 7. शाखा प्रबन्धक rmgb शाखा बाटाडु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :– 26/07/2022

राजस्व वाद संख्या– 154 / 2022

वादीगण वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील नरपत पूनड़, प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/07/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सखरोड़ा, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 104 / 66 रकबा 26.4300 हैक्टेयर व मौजा बांडातालर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु खेत खसरा नं. 524 / 376 रकबा 0.3560 हेक्टयर व मौजा जोगासर कुंआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु खेत खसरा नं. 335 रकबा 2.0468 हेक्टयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	